न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल , म0प्र0 ग्वालियर (55) 57

R.2358-I/12

1- श्रम. देवमती बेवा विश्वनाथ प्रसाद वैश्य

2- बब्लू पिता स्व. विश्वनाथ वैश्य

3- लवलेश कुमार पिता स्व. विश्वनाथ वैश्य

क्र. 2 व 3 नाबालिग बली संरक्षक मां श्रीमती देवमती पत्नी स्व. श्री विश्वनाथ वैश्य, सभी निवासी ग्राम नौगढ़, तहसील व जिला सिंगरौली म0प्र0 -

-- आवेदक/निगरानीकर्तागण

बनाम

1- रामकरण वैश्य पिता राम प्रसाद वैश्य

2- रामनरायण पिता ठाकुर प्रसाद वैश्य

दोनो निवासी ग्राम नौगढ़, तहसील व जिला सिंगरौली, म0प्र0,

--अनावेदक/गैर निगरानीकर्तागण

आर०के० देव पाण्डेय
21.6.12

निगरानी विरूद्द आदेश न्यायालय कलेक्टर जिला सिंगरौली म0प्र0 के प्रकरण कृमांक 56/निगरानी/2010-11 मे पारित आदेश दिनांक 18.4.2011,

=====================================

कमिश्नर कार्यालय रीवा
संभाग रीवा से प्राप्त
22/6/12

अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 ई.।

=====================================

23.7.12

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है:-

1:- यह कि अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है .

(56)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 2 3578 II/12 देवमती / रामलखन (निगरानी)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
06/6/19	इस प्रकरण में दिनांक 19/9/18 को उभय पक्ष अधिवक्ता के तर्क सुने जाकर प्रकरण आदेशार्थ सुरक्षित रखा गया था। प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी कलेक्टर, सिंगरौली के प्रकरण क्रमांक 56/निग./10-11 में पारित आदेश दिनांक 18/4/11 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है । म0प्र0 भू0राजस्व संहिता में दिनांक 25/09/2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (ए) के अंतर्गत इस न्यायालय को सुनवाई किये जाने तथा आदेश पारित किये जाने की अधिकारिता नहीं है । अत: नवीन संशोधन के अनुसार सुनवाई हेतु यह प्रकरण आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 29/04/19 को रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । 6/6/19 सदस्य	